न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—228/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/228)

1. धन्नालाल पुत्र रतनलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल
   सभी जाति माली निवासी धोलागाटा अजमेर, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 लालाराम पत्नी श्री दया शंकर जाति माली निवासी सुभाष नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमती शांति पुत्री स्व0 लालाराम पत्नी श्री भंवर लाल जाति माली निवासी श्रंगार चंवरी, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।**(फौत)**
   2/1 नौरतमल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी श्रृंगारचवरी तहसील व जिला अजमेर।
   2/2 श्रीमती पुष्पा पुत्री भंवरलाल पत्नि छगन जाति माली निवासी चाणक्य चौक, धानमण्डी, बालूपुरा रोड़, अजमेर।
   2/3 श्रीमती जमना पुत्री भंवरलाल पत्नि सुगन जाति माली निवासी शांतिपुरा, वैशाली नगर, अजमेर।
3. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व0 लालाराम पत्नी श्री गोपाल लाल जाति माली निवासी माया मंदिर के पीछे अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 उपखण्ड अधिकारी, अजमेर राजस्व वाद संख्या 80/2015

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री रामस्वरूप चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04.

निर्णय

दिनांकः—08.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा वाद संख्या 80/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर राजस्व वाद अंतर्गत धारा 83 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया। वादीगण के द्वारा वाद पत्र वास्ते उदघोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया

गया उपरोक्त वाद पत्र का जवाबदावा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया और साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि अपीलांट के द्वारा पंजीवद्ध विक्रय पत्र दिनांक 8.9.2011 के संदर्भ में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अजमेर के द्वारा दीवानी वाद संख्या 49/2012 (95/2012) श्रीमती रामप्यारी बनाम धन्नालाल का निर्णय दिनांक 18.7.2012 को हो गया है। जिसके तहत उपरोक्त बैनामें को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कर दिया गया है तथा वादी द्वारा वाद पत्र में आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे वाद पत्र में आवश्यक व्यवितयों को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे वाद धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खारिज योग्य है तथा वादकारण भी उत्पन्न होना नहीं दर्शाया गया है तथा आराजी खसरा नम्बर 2160 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से 15 बिस्वा भूमि रेल्वे के द्वारा अवाप्त कर ली गई है जिससे उपरोक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है औश्र अंत में वाद निरस्त करने की दादरसी चाही गई। उपरोक्त प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात वादीगण का वाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी एवं सपठित धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करते हुए वाद खारिज कर दिया गया। जिसके द्वारा प्रथम अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।अपीलांट के अभिभाषक द्वारा पैरवी नहीं किए जाने से अपील दिनांक 16.10.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त कर दी गई। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 को 200 रूपए कोस्ट पर स्वीकार किया गया व अपील पुनः नम्बर पर ली गई। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 80/2015 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2016 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की वहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने वहस अपील में कथन किया कि वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद कृषि भूमि उदघोषणा खातेदारी बावत प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट का वाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं सपठित धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करते हुए खारिज किया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.03.2016 खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण का वाद खारिज किए जाने का मूल आधार न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अजमेर के द्वारा दीवानी वाद संख्या 49/2012 बउनवानी श्रीमती रामप्यारी बनाम धन्नालाल वगेराह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.7.2012 के तहत विक्रय पत्र दिनांक 8.9.2011 को खारिज करना बनाया है। यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.7.2012 के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसकी अपील संख्या 534/2017 है जिसके तहत

उभयपक्षकारान को सुने जाने के पश्चात दिनांक 5.9.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जो आज दिवस तक लागू है। रेस्पोडेंट द्वारा उपरोक्त अपील बाबत तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में छिपाए गए थे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 9.3.2016 में वादीकरण उत्पन्न नहीं होना दर्शाया है और कुछ भूमि का अवाप्त होना भी वाद को निरस्त करने का आधार माना है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसरण में जहां विधि का मिश्रित प्रश्न होता है वहां विवादक विंदु बनाए जाने के पश्चात साक्ष्य लिए जाने के वाद अंतिम निर्णय किया जाना चाहिए परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण को लाभ देने की नियत से वाद पत्र को बिना पूर्ण रूप से सुनवाई किए निरस्त कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर समक्ष विचाराधीन अपील की सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेंट को थी जिसे छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है जो काबिल खारिज योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 80/2015 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र एवं उक्त प्रकरण का आधार पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 08.09.2011 एवं वसीयत एवं मुख्त्यारनामें के आधार पर वाद पत्र व उक्त प्रकरण बाबत् खसरा नम्बर 2028, 2160, 2165, 2192 एवं 2200 जो ग्राम किरानीपुरा तहसील अजमेर में स्थित भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2011 के संदर्भ में न्यायालय मान्नीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02, अजमेर के द्वारा दीवानी वाद संख्या 49/2012 (95/2012) श्रीमती रामप्यारी पत्नी लालाराम बनाम धन्ना लाल व ओमप्रकाश के दीवानी वाद में निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 के अनुसार पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 08.09.20211 को शून्य, अवैध व प्रभावहीन घोषित कर दिया गया है इस प्रकार वादीगण के द्वारा पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 08.09.2011 के आधार पर तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया था और श्रीमती छोटी पुत्री रामप्यारी जो विवादित भूमि में सह हिस्सेदार है कि जानकारी वादीगण को रही हैं जिसे वाद पत्र में तनकीत करवाने के उपरान्त नाम काटा गया एवं जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण धारा 211 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद विधि द्वारा वर्जित एवं खसरा नम्बर 2160 में से 0–15–0 बीघा भूमि को रेल्वे विभाग के लिए भूमि अवाप्त की जा चुकी है। उस अवाप्त शुदा भूमि के राम्बन्ध में भी घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं सपठित धारा 211 राज.काश्तकारी अधिनियम को विधि सम्मत स्वीकार किया जाकर वाद का खारिज किये गया है। मान्नीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02, अजमेर के द्वारा दीवानी वाद संख्या 49/2012(95/2012) के तहत् विक्रय पत्र को दिनांक 08.07.2011 को खारिज किया गया है, जिसकी प्रथम अपील मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसकी अपील संख्या 534/2017 में दिनांक 05.09.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर स्थगन जारी किया गया है वो अंतिम आदेश नही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट्स निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण का वाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. सपठित धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर बताया गया कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अजमेर के द्वारा दीवानी वाद संख्या 49/2012 बउनवानी श्रीमती रामप्यारी बनाम धन्नालाल वगैराह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.7.2012 के तहत विक्रय पत्र दिनांक 8.9.2011 को खारिज कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 2160 में से 0–15–0 बीघा भूमि को रेल्वे विभाग के लिए भूमि अवाप्त की जा चुकी है। अवाप्त की गई भूमि के संदर्भ में वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है तथा वाद पत्र में रेल्वे कोरीडोर को भी पक्षकार नही बनाया गया। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02, अजमेर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की सम्पूर्ण जानकारी वादीगण को वाद व उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व ही थी इसलिए खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं सपठित धारा 211 राज.काश्तकारी अधिनियम को विधि सम्मत स्वीकार किया जाकर वाद का खारिज किये जाने के आदेश दिये है, जबकि मान्नीय सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट संख्या 02 द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2012 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2011 को अवैध, शून्य व प्रभावहीन मानते हुए निरस्त किये जाने के आदेश दिये हैं, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसकी अपील संख्या 534/2017 है जिसके तहत उभयपक्षकारान को सुने जाने के पश्चात दिनांक 5.9.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। जो वर्तमान में यथावत् है। इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा उपरोक्त अपील बावत तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में छिपाए गए थे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 9.3.2016 में वादीकरण उत्पन्न नहीं होना दर्शाया है और कुछ भूमि का अवाप्त होना भी वाद को निरस्त करने का आधार माना है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसरण में जहां विधि का मिश्रित प्रश्न होता है वहां विवाधक बिंदु बनाए जाने के पश्चात साक्ष्य लिए जाने के बाद अंतिम निर्णय किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य प्रतीत होती है, इस प्रकार से न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण में प्रतिवादीगण से जवाब दावा प्राप्त करें तथा वाद पत्र में तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर व उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के वाद पत्र संख्या 80/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2016 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है

की जाती है कि वे उपरोक्त उल्लेखित Observation के क्रम में प्रकरण में प्रतिवादीगण से जवाब दावा प्राप्त करें तथा वाद पत्र में तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर व उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2023 को उपस्थिति होने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर